Shodh Sari-An International Multidisciplinary Journal

@2023 International Council for Education Research and Training
2023, Vol. 02, Issue 01, 90-95
ISSN: 2959-1376
https://doi.org/10.5281/zenodo.7767679

हरियाणा पंचायती राज़ एक्ट 2015 के संदर्भ में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

Devi, S.
Research Scholar, Baba Mastnath University, Rohtak

शोध-आलेख सार

महिला समाज का एक अहम हिस्सा है। सवस्थ समाज का निर्माण समाज में स्त्री को पुरुष की समानता पर टिका होता है। भारतीय समाज में असमानता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, ये हैं हम पिछले कुछ दशकों में महिला अनुपात में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति में देख सकते हैं। समाज में लैंगिक भेदभाव जारी है और इसके अंतर्निहित कारण समाज की सामाजिक संरचना में निहित है। महिला असमानता मिटाने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किए गए। 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण देकर स्थानीय स्वशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। यह रिसर्च पेपर हरियाणा के जमीनी स्तर पंचायतीराज में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह पेपर द्वितीयक स्रोत पर आधारित है।

मुख्य शब्द *- महिला सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व, पंचायतीराज, राजनीतिक सशक्तिकरण*

भूमिका

महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा है। ये देश की आंधी जनसंख्या का ये देश की आंधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है।। देश के निर्माण में महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। किसी भी क्षेत्र में

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 01, 90-95
https://doi.org/10.5281/zenodo.7767679

महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है।राजनीति के क्षेत्र में प्राचीन समय से ही महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसके कई उदाहरण हमें अपने देश की राजनीति में देखने को मिल जाते हैं। श्रीमती इंदिरा गाँधी जैसी सशक्त प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के विकास को ऊंचाइयों पर ले जाकर साबित कर दिया कि महिलाओं को किसी से भी कम नहीं आंका जा सकता। पंचायतीराज में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर देश के स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित की गयी और महिलाओं ने भी राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से अपने देश के विकास में योगदान दिया है, परंतु समाज की कुछ सामाजिक समस्याओं ने महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में बाधा उत्पन्न की है। इसी संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है-"अपने शिखर की प्रतिष्ठा में गिरावट है।"[1]

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण लिंग विभेद को भी कम करने में योगदान देता है। महिलाओं का सशक्तीकरण के लिए उनका राजनीतिक सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है ताकि महिलाएं निर्णय लेने में भाग ले सकें और अपने समुदायों का भविष्य बचा सके। यह आवश्यक है कि वे राष्ट्र की राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा हो।"[2] समाज की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महिला समाज कितनी प्रगति कर रहा है। महिलाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा को नजरंदाज कर सवस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

स्थानीय स्वशासन और महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

हरियाणा राज्य का गठन 1966 ईस्वी में हुआ। इससे पहले यह पंजाब प्रांत का हिस्सा होता था और पंजाब पंचायत अधिनियम 1952 के द्वारा गांव का स्थानीय स्वशासन चलाया जाता था। 73 में संविधान संशोधन के अनुपालन में हरियाणा पंचायती राज़ अधिनियम 22 अप्रैल 1994 ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसने पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 और पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित किया। हरियाणा पंचायती राज़ अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया जो 22 अप्रैल 1994 के अधिसूचना संख्या एस.ओ. 35 /एच.ए. / 11 / 94 दिनांक 22 अप्रैल है। हरियाणा पंचायती राज़ एक्ट 1994 के बाद तीनों

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 01, 90-95
https://doi.org/10.5281/zenodo.7767679

स्तरों पर पहला चुनाव 1994 में हुआ तथा इसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित रखे गए। 1994 के बाद वर्तमान में पंचायतीराज के चुनाव वर्ष 2000, 2005 ,2010, व 2016 में हो चूके हैं। 33 प्रतिशत महिला आरक्षण ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में योगदान दिया है। हरियाणा में महिलाएं जिन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया जिनमें श्रीमती चंद्रावती, श्रीमती परशानी देवी और मिस करतार देवी चार बार राज्य विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया, विद्या बेनिवाल, श्रीमती सुषमा स्वराज और डॉ कमला वर्मा राज्य विधानसभा में तीन बार जीत हासिल कर चुकी है। मीना मंडल ,गीता भुक्कल, विजय पंडित ,किरण चौधरी, सावित्री जिंदल हरियाणा विधानसभा 2005 के चुनाव में प्रथम बार शामिल हुई। परंतु दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश महिला नेता पंचायती राज़ संस्था के माध्यम से नहीं आई इसी कारण ये ग्रामीण महिलाओं की जरूरतों में ज्यादा योगदान नहीं दे पाई। पंडित नेहरू ने कहा है-" पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है, इसमें ग्रामीण प्रजातंत्र की शिक्षा ग्रहण करते है।"[3]

पांचवें हरियाणा पंचायती राज़ चुनाव 2016 में महिला प्रतिनिधित्व

73 वां संविधान संशोधन अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के संबंध में भारतीय संसद का एक ऐतिहासिक निर्णय था। इस संशोधन ने स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। स्थानीय स्वशासन का विषय राज्य सूची में आता है। बिहार राज्य देश का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज़ संस्थानों में महिलाओं के 33प्रतिशत आरक्षण की जगह 50प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ,उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र ,त्रिपुरा, केरल ,उड़ीसा ,झारखंड राज्यों ने भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी।

टेबल- 1पांचवा हरियाणा पंचायती राज़ चुनाव 2016 **में हरियाणा में निर्विवादित रूप से चुने हुए सदस्यों का एक अवलोकन**

Shodh Sari-An International Multidisciplinary Journal

@2023 International Council for Education Research and Training
2023, Vol. 02, Issue 01, 90-95
ISSN: 2959-1376
https://doi.org/10.5281/zenodo.7767679

पी.आर.आई. पद	कुल सीट	निर्विवादित चुने हुए पुरुष सदस्य	निर्विवादित चुने हुए महिला सदस्य	कुल निर्विवादित चुने हुए सदस्य
पंच	60438	21735 (35.96%)	17120 (28.33%)	38855 (64.29 %)
सरपंच	6186	147 (2.38%)	127 (2.05%)	274 (4.43%)

स्रोत: हरियाणा पंचायत सरपंच, पंच चुनाव परिणाम 2016 लाइव "[4]

टेबल -1 बताती हैं कि जमीनी स्तर पर निर्विवादित चुनाव को प्रोत्साहित किया गया। इस चुनाव में पंचों की कुल सीटें 60,438 थी जिसमें से 21,735 पुरुष सदस्य निर्विवादित रूप से पंच सदस्य के रूप में चुने गए तथा 17,120 महिला सदस्य निर्विवादित पंच सदस्यों के रूप में चुनी गईं। कुल निर्विवादित रूप से 38,855 पंच सदस्य चुने गए। सरपंचों की कुल 6186 सीटों पर 147 पुरुष सरपंच व 127 महिला सरपंच निर्विवादित रूप से चुनी गयीं। कुल 274 निर्विवादित सरपंच हरियाणा राज्य से चुनकर आए। इस टेबल से स्पष्ट होता है कि हरियाणा जैसे राज्य जिसमें घुंघट प्रथा जैसी कुरीतियां जड़ जमाए हुए हैं महिलाओं का निर्विवादित रूप से चुनकर आना महिला का राजनीतिक सशक्तिकरण को दर्शाता है।

Sr.no.	जिला	महिला पंच	कुल पंच	महिला सरपंच	कुल सरपंच
1	फतेहाबाद	1111 (42.83%)	2594	107 (41.63%)	257
2	हिसार	1518 (40.01%)	3794	126 (40.91%)	308
3	जींद	1286 (40%)	3215	116 (38.54%)	301
4	सिरसा	1420 (41.20%)	3447	144 (42.73 %)	337

टेबल – 2 हिसार मंडल में पांचवें हरियाणा पंचायती राज़ चुनाव 2016 **में महिला प्रतिनिधित्व**

स्रोत: हरियाणा पंचायती सरपंच पंच चुनाव परिणाम 2016 लाइव "[5]

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 01, 90-95
https://doi.org/10.5281/zenodo.7767679

टेबल -2 से पता चलता है कि हिसार जिले में कुल पंच पद 3794 में से 1518 महिला पंच सदस्य चुनी गईं हुए कुल 308 सरपंच पद में से 126 महिला सरपंच पद पर चुन कर आई वहीं पर जींद जिले में कुल 301 सरपंच पदों में से 116 व सिरसा जिले में कुल 337 सरपंच पदों में से 100 सरपंच पदों में से 116 व सिरसा जिले में कुल 337 सरपंच पदों में से 144 महिला सरपंच पद पर चुन कर स्थानीय सुशासन में प्रवेश किया। सिरसा और हिसार जिला जो राजस्थान की सीमा रेखा से लगता है यहाँ बागड़ी बेल्ट जिसमें घुंघट प्रथा जैसी कुरीति का प्रभाव महिलाओं का विकास में बाधा बनती है। इस चुनाव ने बता दिया कि महिलाएं जागरूक होकर अपना सशक्तिकरण कर रही है।।

मुख्य अवलोकन

1 यह देखा गया कि महिला सशक्तिकरण पुरुष प्रधान क्षेत्र में भी देखा जा सकता है और इसका एक अच्छा उदाहरण हरियाणा के हिसार जिले के गांव भिवानी रोहिल्ला को लिया जा सकता है जिसमें सभी पंच और सरपंच निर्विवादित रूप से महिला चुनी गई और इस गांव को संसद गांव का दर्जा भी दिया गया तथा इनाम के तौर पर 11,00,000 की राशि दी गई।

2 ई डेसबोर्ड के अनुसार यह देखा गया कि सरपंच की औसत आयु 36 वर्ष के आसपास पाई गई है।

3 हरियाणा पंचायती राज़ एक्ट 2015 ने महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है |

महिला राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सुझाव

1 पुरुषों को महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए क्योंकि वो चूल्हे चौके तक सीमित नहीं होती बल्कि देश के भविष्य के निर्माण में अच्छी राजनीतिक नेतृत्व भी कर सकते हैं और निर्णय निर्माण में उनको बराबर योगदान दे सकती है।

2 महिलाओं को राजनीति में प्रवेश के लिए प्रेरित करना चाहिए।

3 राजनीतिक नेतृत्व के लिए महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए क्योंकि शिक्षित महत्व क्योंकि शिक्षित महिलाएं महिला सशक्तिकरण के लिए आदर्श बन सकती है।

4 आई .सी .टी .का प्रयोग करके पंचायतीराज को और अधिक पारदर्शी बनाकर सही रूप से ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सकता है।

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 01, 90-95
https://doi.org/10.5281/zenodo.7767679

निष्कर्ष

दोनों तालिकाओं से पता चलता है कि वैधानिक कार्यवाही ने हरियाणा प्रदेशके सामाजिक राजनीतिक वातावरण में बदलाव की एक श्रृंखला को रफ्तार दी है। महिला सरपंचों व पंचों की संख्या आरक्षित संख्या से अधिक है और यहाँ तक कि महिला पंच व सरपंच निर्विवादित रूप से भी चुनी गई हैं। यह तथ्य सिद्ध करता है कि महिला शक्ति को राजनीति में भी बढ़ावा मिला है। आज की महिलाएं पहले से जागरूक हुई है वे धरातल स्तर पर पीआरआई में भाग लेती भी है और आगे भी दृढ़ता के साथ पुरुष आधिपत्य को चुनौती देती हुई अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। पीआरआई में महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने जो इमारत बनाई है उसका उपयोग महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया के पूरक के लिए एक मंच के रूप में किया गया है ताकि राजनीतिक शक्ति को राजनीतिक नैतिक और अधिक विश्वसनीय और वैध बनाया जा सके।

संदर्भ

1 . भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका प्रधानमंत्री का भाषण कुरुक्षेत्र वॉल्यूम ,3 जनवरी ,1994,पृष्ठ 16-18

2. Prema Cariappa, Women Representation in Political Institution in India : Role, Status, Participation and Decision Making in D. Sunder Ram ,ibid,Pp. 10-11

3. नेहरु, 1965

4. Singh Yoginder,(February 2017) Women Political Empowerment in Haryana : An Analysis of 5th Panchayat Election 2016

5. Singh Yogender,(february 2017) Women Political Empowerment in Haryana : An Analysis of 5th Panchayat Election 2016